कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / स्था.अवि. / सीधी भर्ती / 2023 / 7641 दुर्ग, दिनांक 26 / 07 / 2023

/ / तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन / /

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, नवा रायपुर, छत्तीसगढ के पत्र क्रमांक / स्था. / अवि. / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23.08.2021 तथा **दिनांक 04.05.2023 को विडियो कांफ्रेंसिग में सचिव / संचालक महोदय** के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवाभर्ती नियम 18.07.1989 तथा अलिपीकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11 / 06 / 2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ / 10–8 / 2019 / 1 / एक दिनांक 04 सितम्बर 2019 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम 2019 दिनांक 24.09.2019 में दिये गये निर्देशानुसार जिला संवर्ग के जिला दुर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार से **ऑनलाईन durg.gov.in के माध्यम से** दिनांक 27.07.2023 से दिनांक 10.08.2023 तक संध्या 05.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। किसी अन्य माध्यम से अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेंगे ।

जिला स्तरीय पद व आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	कुल रिक्त पद	आरक्षण विवरण							
					अनारक्षित		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.पि.व.	
					संवर्ग	पद	संवर्ग	पद	संवर्ग	पद	संवर्ग	पद
1	ड्रेसर ग्रेड–01	तृतीय श्रेणी	19500–62000 लेबल–4	13	मुक्त	3	मुक्त	1	मुक्त	1	मुक्त	1
					महिला	2	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	1	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	1
					दिव्यांग	2	दिव्यांग	1	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0
2	ड्रेसर ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	18000–56900 लेबल–3	06	मुक्त	2	मुक्त	0	मुक्त	1	मुक्त	0
					महिला	1	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	1	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	0
					दिव्यांग	0	दिव्यांग	1	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0
3	ओपीडी अटेंडेंट	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	05	मुक्त	1	मुक्त	1	मुक्त	2	मुक्त	1
					महिला	0	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	0
					दिव्यांग	0	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0
4	भृत्य / चतुर्थ श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	08	मुक्त	0	मुक्त	1	मुक्त	2	मुक्त	0
					महिला	1	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	1
					दिव्यांग	1	दिव्यांग	1	दिव्यांग	1	दिव्यांग	0
5	भृत्य / वार्ड ब्वॉय	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	11	मुक्त	2	मुक्त	2	मुक्त	2	मुक्त	0
					महिला	1	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	1	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	1
					दिव्यांग	1	दिव्यांग	1	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0
6	आया	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	26	मुक्त	9	मुक्त	2	मुक्त	3	मुक्त	0
					महिला	4	महिला	0	महिला	0	महिला	1
					भू.सै.	1	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	3
					दिव्यांग	0	दिव्यांग	2	दिव्यांग	1	दिव्यांग	0

26/7/2023 26/7/23 26-7-23 26/7/23 26/7/23

क्रमशः–

क्र	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	कुल रिक्त पद	आरक्षण विवरण							
					अनारक्षित		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.पि.व.	
					संवर्ग	पद	संवर्ग	पद	संवर्ग	पद	संवर्ग	पद
7	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	11	मुक्त	5	मुक्त	0	मुक्त	0	मुक्त	0
					महिला	2	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	1	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	1
					दिव्यांग	0	दिव्यांग	2	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0
8	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	15600–49400 लेबल–1	08	मुक्त	5	मुक्त	01	मुक्त	0	मुक्त	0
					महिला	0	महिला	0	महिला	0	महिला	0
					भू.सै.	2	भू.सै.	0	भू.सै.	0	भू.सै.	0
					दिव्यांग	0	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0	दिव्यांग	0

विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु सेवाभर्ती नियमानुसार विहित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

क्र	पदनाम	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अहर्ता
1	ड्रेसर ग्रेड–01	(1) 10+2 पद्वति से विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये। (3) छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये (4) विकलांगता मान्य–**OL, HH**
2	ड्रेसर ग्रेड–02	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) पद्वति से कक्षा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) विकलांगता मान्य–**OL, HH**
3	ओपीडी.अटेण्डेंट	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
4	भृत्य/चतुर्थ श्रेंणी	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) विकलांगता मान्य–**OA,OL,B,LV,HH**
5	भृत्य/वार्ड व्वाय	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) विकलांगता मान्य–**OA,OL,LV**
6	आया	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) विकलांगता मान्य–**OA,OL,LV**
7	स्वीपर	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) विकलांगता मान्य–**OA,OL,LV,HH**
8	चौकीदार	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

नियम व शर्ते :–

1. जिन पदो के लिए कांऊसिल में पंजीयन प्रावधानित है, उक्त पदों पर आवेदन तिथि को जीवित स्थायी पंजीयन अनिवार्य होगा, शेष पदों पर जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
2. निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में से विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर निम्नानुसार सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा ।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	सत्यापन हेतु
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

26/7/23 26/7/23 26/7/23 26/7/23

क्रमशः–

आवेदक के पास दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेख होना अनिवार्य होगा–

(i) 8वीं. अथवा 10वी एवं 12वीं की अंकसूची (जन्मतिथि सत्यापन के लिए)
(ii) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची
(iii) तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र
(iv) संबन्धित कौंसिल का जीवित/स्थायी पंजीयन/जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र (जिन पदों हेतु लागू हों)
(v) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र
(vi) छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र
(vii) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) शारीरिक दिव्यांग आवेदन हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
(viii) शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

3. मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन–अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जाच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हे आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नही किया जावेगा। चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जावेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता का होगा।
4. वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन के उपरांत नियुक्ति से संबंधित आगामी सभी सूचनायें, प्रक्रिया तथा चयनित उम्मीदवारों की सूची, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के सूचना पटल एवं दुर्ग जिले की वेबवाइट **durg.gov.in** पर देखा जा सकेगा, इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार नही किया जावेगा।
5. एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है एवं पात्र उम्मीदवार नही होने की दशा में चयन समिति द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित किया जा सकता है ।
7. **तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी चयन प्रकिया में निर्धारित अंक विवरण** (**W**eightage)

(अ) तृतीय श्रेणी पद कमांक 01 हेतु –
(संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर का पत्र क./स्था.अवि./02/2023/26/नवा रायपुर दिनांक 11.01.2023 के तहत)
(i) शैक्षणिक योग्यता का 40 प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का 45 प्रतिशत
(ii) अनुभव का 15 अंक
(iii) कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10

(ब) तृतीय श्रेणी पद कमांक 02 हेतु –
(संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर का पत्र क./स्था.अवि./04/2023/23/नवा रायपुर दिनांक 10.01.2023 के तहत)
(i) शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत
(ii) अनुभव का 15 अंक
(iii) कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10

(स) चतुर्थ श्रेणी पद कमांक 03 से पद कमांक 08 हेतु– (i) शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत
(ii) अनुभव का 15 अंक
(iii) कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10

26/7/23 26/7/23 26/7/23 26/7/23 26-7-23

अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रं.F1-67/2021/सत्रह –1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/दिसम्बर/2021 एवं विभागीय समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 03 फरवरी 2023 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में **नियुक्त एवं एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव** वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदो पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जाना है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर का पत्र क./स्था.अवि./04/2023/23/नवा रायपुर दिनांक 10.01.2023 के अनुसार उक्त संबन्ध में लेख है कि जो कर्मचारी कोरोना के दौरान नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा दिया हो उन्हे 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हे अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है । इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनों अनुभव के अंक नही दिया जाना है । ऐसी स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के 85 अंक एवं अनुभव के 15 अंक अथवा 10 अंक दिया जाना है जो कुल 100 अंक से अधिक नही होना है ।

8. दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीद्वार की आयु सीमा न्यूनतम 18 व अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को 05 वर्ष, महिलाओ के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नही होगी। दिव्यांगजन उम्मीद्वार को 03 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
9. छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास जाति सत्यापन का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. तृतीय श्रेणी के पद क्रमांक 01 को छोड़कर शेष रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को 85 प्रतिशत अंक भार दिया जायेगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव के अंक को जोड़कर वरीयता सूची तैयार की जावेगी । किसी भी शासकीय संस्था में मानदेय पर कार्यरत को अनुभव का अंक दिया जायेगा, बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 03 अंक प्रदान किये जायेंगे, अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगें। **स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोविड–19 में कार्य करने वाले आवेदकों को एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव** या इससे अधिक कार्य अवधि पूर्ण होने पर 10 बोनस अंक अतिरिक्त दिया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।
12. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
13. जिला दुर्ग में लागू आरक्षण रोस्टर एवं जिले के 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया गया है।
14. जिन पदों पर प्राप्तांक ग्रेडिंग आधार पर दिये जाते हैं उन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को अपने शिक्षा संस्थान से सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में करवाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किया जाना अनिवार्य है । दस्तावेज परीक्षण के समय प्राप्तांक पूर्णांक संबन्धी अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
15. विज्ञापित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त अन्य कोई अर्हता/योग्यता पर कोई बोनस अंक नही दिया जावेगा।
16. यह भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी ।
17. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल दिव्यांग आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, ही पात्र होंगे। अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया नवीनतम वर्ष का दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. चयनित अभ्यार्थियों को उपस्थिति के समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. आवेदन में उल्लेखित विवरण को पुरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन जमा कर दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

क्रमशः–

26/7/23 26/7/2023 26-7-23 26/7/23 26/7/23

20. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग, के सूचना पटल एवं जिला दुर्ग के वेबसाईड **durg.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।
21. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दिए गए निर्देशों/नियम शर्तो को पुरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे। आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगे।
22. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
23. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है ।
24. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते है। उन्हे अपने नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर की जावेगी।
    (क) परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :-
    प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
    द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
    तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
    परन्तु परीवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।
    (ख) परीवीक्षा की समाप्ति पर जब वह सेवा व पद पर नियमित किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा व पद को लागू वेतन में नियत किया जावेगा।
26. प्रतीक्षा सूची " चयन समिति " के अनुमोदन उपरांत मूल सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।
27. दावा आपत्ति के दौरान केवल टंकन त्रुटि ही मान्य किये जायेंगे। अतिरिक्त अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दावा आपत्ति की समय-सीमा उपरांत किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
28. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल समाप्त कर उनके विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
29. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के वाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
30. नियुक्ति संबंधित किसी विवाद पर न्यायालीन क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग अथवा छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का होगा।

ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश :-

- ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विभागीय वेबसाईट durg.gov.in में जाकर आवेदन करें।
- अभ्यर्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर में पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-ईन करें।
- आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें।
- आवेदन करने के पश्चात् Submit कर आवेदन का प्रिंट निकालकर उसमें आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रुप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन पूर्ण नही माना जावेगा।
- हस्ताक्षर आवेदन अपलोड करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना होगा । आवेदक को समस्त दस्तावेज (शैक्षणिक, जाति, निवास, पंजीयन, दिव्यांगता) वर्तमान समय में अपलोड नही करना होगा । चयन प्रकिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा । ऑनलाईन भरे हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण के समय समानता नही पाये जाने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

कमशः-

26/7/23 26/7/2023 26-7-23 26/7/23 26/7/23

- गम्भीर त्रुटि पाए जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें । कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता/सावधानी बरतें ।
- ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्ट की गयी जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनायी जावेगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

26/7/23 26-7-23 26/7/23 26/7/23

26/7/23
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/स्था.अवि./सीधी भर्ती/2023/7642 दुर्ग, दिनांक 26/07/2023
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेव
4. .यें, इंद्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, संभाग दुर्ग/रायपुर की ओर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला रोजगार अधिकारी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र नवा रायपुर की ओर विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी उचित कार्यवाही हेतु।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. कार्यलयीन प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
26.7.23